# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 2024/231 निर्णय दिनांक 28.08.2024

वादी :

देवकरण पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी रूघनाथपुरा तहसील परबतसर जिला डीडवाना कुचामन

बनाम

प्रतिवादीगण :

1– अणदाराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी रूघनाथपुरा

2– गणेशराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी रूघनाथपुरा

3– गिरधारी पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी रूघनाथपुरा

4– मोहनराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी रूघनाथपुरा

5– तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत :– घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राघव शर्मा, अधिवक्ता वादी

## निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 1015 रकबा 8.0400 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं जिसमें वादी प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी का उक्त कृषि भूमि में 607/10050 हक हिस्सा आया हुआ है जिस पर वादी लगातार काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता आ रहा है वादी अपने हक हिस्से में आयी कृषि भूमि रकबा 0.4856 हैक्टेयर पर लगातार निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

रहा है तथा अपने हिस्से पर पुख्ता बाड खन्दक लगी हुई है तथा मौके की स्थिति के लिये नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया जिसमें वादी के हिस्से को मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया तथा अन्य प्रतिवादीगण का शेष हिस्सा आया हुआ है तथा भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी का अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा प्रतिवादीगण बिना बंटवारे के भूमि का बेचान करने पर तथा वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। जिससे वादी ने अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि परिशिष्ट 'क' में वर्णित किया है जिसके अनुसार वादी के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा घोषित किया जाकर अलग होल्डिग कायम करने की इस्तदुआ की है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने पर बावजूद इन्तकार करने पर भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वयं के बयान लिये गये ओर साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. वादी के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया । विधिक सुसंगत प्रावधानो का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. वादी द्वारा वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 पेश की है। जिसके अनुसार ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 1015 रकबा 8.0400 हैक्टैयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नही हो रखा है उपरोक्त आराजीयात में वादी क हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं, शेष भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत रूप से तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे है किसी प्रकार का कोई एतराज नही किया है न ही कोई असालतन/वकालतन जवाब आदि पेश किया हैं वादी ने वाद के साथ परिशिष्ट 'क' पेश कर कब्जा काश्त बताया है, जिसके सम्बन्ध में भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐतराज पेश नही किया है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने भी वादी के वाद पर मौन स्वीकृति प्रदान की हैं वादी अपनी खातेदारी में दर्ज हक हिसरे के अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा कर अलग होल्डिग कायम करवाने का निवेदन किया है जिसका वादी को कानूनी अधिकार हैं। वादी अपने हक हिस्से की भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवा कर अपने हक हिस्से की अलग से तरमीम करवाने का अधिकारी हैं। जिस

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

पर किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई एतराज पेश नही किया है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 1015 रकबा 8.0400 हैक्टेयर भूमि में वाद के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी की होल्डिग कायम की जावे। परिशिष्ट 'क' डिक्री का पार्ट रहे। शेष भूमि प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में यथावत रहेगी। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना-कुचामन) परबतसर (डीडवाना-कुचामन)